

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमति- रिना देवी पति- श्री त्रिवेणी यादव ग्राम- होन्हे , थाना- टंडवा जिला - चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- होन्हे , थाना- टंडवा जिला - चतरा (झारखण्ड) थाना सं. 50 (रैयती भूमि) खाता सं. 1, 12, 46, 17 एवं 83 के अधीन प्लॉट सं. 337, 358, 327, 518, 549, 517, 618, 516, 617 एवं 782. कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम- होन्हे , थाना- टंडवा जिला - चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- होन्हे , थाना- टंडवा जिला - चतरा (झारखण्ड) थाना सं. 50 (रैयती भूमि) खाता सं. 1, 12, 46, 17 एवं 83 के अधीन प्लॉट सं. 337, 358, 327, 518, 549, 517, 618, 516, 617 एवं 782. कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के तहत श्रीमति- रिना देवी पति- श्री त्रिवेणी यादव ग्राम- होन्हे , थाना- टंडवा, जिला - चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- होन्हे, थाना- टंडवा, जिला - चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है ।

दि. नारायण  
06/06/22